



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 20 मार्च, 2008 ई०
फाल्गुन 30, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1302/XXXVI(4)/2008
देहरादून, 20 मार्च, 2008

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 19 मार्च, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2008 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916)
(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं
उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) अधिनियम, 2008
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2008)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 का उत्तराखण्ड राज्य के लिये अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

1-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 10 क में
एक नई उप-
धारा (4) का
अन्तः स्थापन

2-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 10 क के अन्त में निम्नलिखित एक नई उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

“(4) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अथवा जनहित में किसी नगर पालिका का, उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, गठन हेतु निर्वाचन कराया जाना व्यवहारिक न हो, वहां ऐसी नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के विधिवत गठित होने तक, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत की समस्त शक्तियों, कृत्यों एवं कर्तव्यों का प्रयोग एवं कार्यान्वयन, जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो उप जिलाधिकारी के स्तर से नीचे का न हो, द्वारा किया जायेगा तथा ऐसा जिला मजिस्ट्रेट अथवा अधिकारी, ‘प्रशासक’ कहलायेगा, और ऐसे प्रशासक को विधिक रूप में नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, अध्यक्ष या समिति, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक के कार्यकाल की अवधि छः मास या नये बोर्ड के गठन तक, जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी।”

धारा 10 कक
का निरसन

3-मूल अधिनियम की धारा 10 कक एतद्वारा निरसित की जाती है।

मूल अधिनियम
की धारा 13 ग
के खण्ड (घ)
का निरसन

4-मूल अधिनियम की धारा 13 ग के खण्ड (घ) को एतद्वारा निरसित किया जाता है।

धारा 13 घ में
एक नये खण्ड
का अन्तःस्थापन

5-मूल अधिनियम की धारा 13 घ के खण्ड (त) के पश्चात् एक नया खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्-

“(थ) वह एक से अधिक वार्ड के लिए अभ्यर्थी हो।”

निरसन और
अपवाद

6-(1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) अध्यादेश, 2008 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम में उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम में सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916) (Adaptation and Modification Order, 2002) Adaptation and Modification Order, 2007 (Amendment) Bill, 2008 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 03 of 2008).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 19th March, 2008.

No. 1302/XXXVI(4)/2008
Dated Dehradun, March 20, 2008

NOTIFICATION
Miscellaneous

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH NAGAR PALIKA ADHINIYAM, 1916) (ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002) ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2007 (AMENDMENT) ACT, 2008

(UTTARAKHAND ACT No. 03 OF 2008)

Further to amend The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916) (Adaptation and Modification Order, 2002) Adaptation and Modification Order, 2007 for the State of Uttarakhand

AN

ACT

Be it enacted in the Fifty-ninth year of The Republic of India as follows :--

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916) (Adaptation and Modification Order, 2002) Adaptation and Modification Order, 2007 (Amendment) Act, 2008.

Short Title and Commencement

(2) It shall come into force at once.

2. In the end of section 10 A of The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916) (Adaptation and Modification Order, 2002) Adaptation and Modification Order, 2007, hereinafter referred to as Principal Act, a new sub-section shall be inserted, namely:--

Insertion of a new sub-section (4) in section 10 A

“(4) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, where due to unavoidable circumstances or in the public interest, it is not practicable to hold an election to constitute a Municipal Council/Nagar Panchayat before the expiration of its duration, then until the due constitution of such Municipal Council/Nagar Panchayat, all powers, functions and duties of Municipal Council/Nagar Panchayat, shall be exercised, performed and discharged by the District Magistrate, or by such Gazetted Officer not below the rank of Sub Divisional Magistrate, to be appointed in this behalf by the District Magistrate and such District Magistrate or such Officer shall be called the ‘Administrator’ and such Administrator shall be deemed in law to be the Chairman/President or Committee, as the occasion may require :

Provided that the term of the Administrator, appointed under this section, shall not exceed six months or till the new constitution of new Board.

3. Section 10 AA of the Principal Act is hereby repealed.

Repeal of section 10 AA

4. Clause (d) of section 13 C of the Principal Act is hereby repealed.

Repeal of Clause (d) of section 13 C of the Principal Act

5. A new clause shall be inserted after clause (p) of section 13 D of the Principal Act, namely--

Insertion of a new clause in section 13 D

“(q) is a candidate from more than one ward.”

6. (1) The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916) (Adaptation and Modification Order, 2002) Adaptation and Modification Order, 2007, (Amendment) Ordinance, 2008 is hereby repealed.

Repeal and Savings

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Principal Act, as mentioned by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Principal Act as amended by this Act, as if this Act were in force at all material times.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,
Principal Secretary.